भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3303

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना

3303. श्री थरानिवेंथन एम.एस.:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और तमिलनाडु में उक्त योजना में शामिल किसानों की संख्या कितनी है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में डीबीटी के अंतर्गत किसानों के खातों में सीधे अंतरित की गई राजसहायता की कुल राशि कितनी है;
(ग) पात्र किसानों को राजसहायता का समय पर और पारदर्शी ढंग से अंतरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) तमिलनाडु में डीबीटी के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां क्या हैं और उक्त चुनौतियों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ड.) तमिलनाडु में डीबीटी का उर्वरक के उपयोग की दक्षता और फसल उत्पादकता पर क्या प्रभाव है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ख) और (ग): प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली में खुदरा विक्रेता द्वारा लाभार्थी को पीओएस मशीनों के माध्यम से की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक उत्पादन/आयात करने वाली कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। खरीदार की पहचान आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित की जाती है। उर्वरक की बिक्री 'बिना किसी मनाही' के आधार पर की जा रही है। कोई भी आधार नामांकित लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण के आधार पर उर्वरक खरीद सकता है। पीओएस मशीनों के माध्यम से की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर, उर्वरक कंपनियों द्वारा उर्वरक विभाग को साप्ताहिक डीबीटी बिलों के रूप में सब्सिडी के दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। इन डीबीटी बिलों पर उर्वरक विभाग द्वारा 'पहले आओ पहले जाओ' (एफआईएफओ) के आधार पर कार्यवाही की जाती है। इसलिए, वर्तमान में उर्वरकों में डीबीटी "वस्तु के रूप में" है क्योंकि खरीदार सब्सिडी प्राप्त लागत पर उर्वरक खरीदता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भुगतान की गई सब्सिडी की कुल राशि **अनुलग्नक** में है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान 'उर्वरकों में डीबीटी' के तहत तमिलनाडु के लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(घ): भारत सरकार ने 17 प्रायोगिक जिलों में अक्टूबर, 2016 से उर्वरकों में डीबीटी प्रणाली शुरू की है। इसके बाद, डीबीटी सितंबर, 2017 से पूरे भारत में शुरू हुई और मार्च, 2018 में पूर्ण हुई। उर्वरक विभाग में विशेष रूप से डीबीटी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। चल रही डीबीटी गतिविधियों की निगरानी के लिए सभी राज्यों में राज्य समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। उर्वरक में डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक खुदरा विक्रेता की दुकान पर पीओएस उपकरण लगाए जाने और पीओएस डिवाइस के संचालन के लिए खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिलाया जाना अपेक्षित है। देश भर में, प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्ता (एलएफएस) ने अब तक 19850 के प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं। सभी राज्यों में लगभग 3.41 लाख पीओएस मशीनें लगाई गई हैं। विभाग विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रणाली में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। डीबीटी के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में तमिलनाडु में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बुजुर्ग किसानों की अंगुलियों की छाप मिलाने में कठिनाई और किसानों के बीच जागरूकता की कमी आदि से संबंधित कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन मुद्दों को डीबीटी उत्पादकों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए अभियानों, पैम्फलेट और ग्राम स्तरीय बैठक के माध्यम से गहन जागरूकता अभियान चलाकर पहले ही सुलझा लिया गया है। बायोमेट्रिक न लग पाने के मामले में किसान के आधार प्रमाणीकरण के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प उपलब्ध है। उर्वरकों में डीबीटी के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए खुदरा बिंदु पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना और दुर्गम क्षेत्रों में आईएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लिकेशन जैसे पीओएस उपकरणों के विकल्पों का प्रावधान किया गया है।

(ङ.): तमिलनाडु में डीबीटी के कार्यान्वयन का उर्वरक के वितरण तथा कृषि के उत्पादन और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेन-देन का रिएलटाइम पता लगाने से उर्वरक के संचलन और उपलब्धता में पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे समय पर इंटरवेंशन संभव हुआ है। डीबीटी प्रणाली से किसान वहनीय कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त उर्वरक खरीदने में सक्षम हैं, जिससे समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होती है और परिणामस्वरूप फसल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है।

******

अनुलग्नक

I. विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भुगतान की गई कुल सब्सिडी:

भुगतान की गई सब्सिडी करोड़ में	
वित्तीय वर्ष	**सकल योग**
2022-23	2,54,798.93
2023-24	1,95,420.51
2024-25	1,77,129.50

II. उर्वरकों में डीबीटी के तहत तमिलनाडु में लाभार्थियों की वर्ष वार कुल संख्या:

वित्तीय वर्ष	**'उर्वरकों में डीबीटी' के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या**
2022-23	27,35,187
2023-24	25,06,239
2024-25	16,29,339